

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO), बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :- श्री यशार्थ शेखर आई.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :- 518/2024

प्रार्थीगण

बनाम

अप्रार्थीगण

1 भारमल राम 2 भोमाराम पिसरान हरचन्द राम 3 हडुमान राम पुत्र हरचन्द राम के कायम मुकाम 3/1 दौलाराम 3/2 मुल्तान सिंह पुत्र हडुमान राम 4 गोकलाराम पुत्र हरचन्द राम जाति जाट निवासी जान्दुओं की ढाणी, खीपसर तहसील बायतु जिला बाडमेर।

1 हिमथाराम पुत्र फतुराम 2 पूनमाराम पुत्र मघाराम जाति जाट निवासी जान्दुओं की ढाणी, खीपसर तहसील बायतु जिला बालोतरा 3 तहसीलदार बाटाडू।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act.

उपस्थिति :-

1 श्री श्रवण कुमार चौधरी, वकील प्रार्थी पक्ष।

2 श्री लाखाराम साहू, वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 02।

आदेश

दिनांक 28/11/25

संक्षिप्त में प्रार्थीगण के आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा जान्दुओं की ढाणी पटवार हल्का खीपर तहसील बाटाडू के खसरा संख्या 248 रकबा 216.16 बीघा भूमि आई हुई है, जो हरचन्दराम, फतुराम पिसरान हेमाराम का 2/3 हिस्सा तथा पूनमाराम पुत्र भगाराम का 1/3 हिस्सा खातेदारी अधिकारों था। उक्त खातेदारान के मध्य सन् 1960 में आपसी सहमति से बंटवाड़ा हुआ जिसके अनुसार खसरा संख्या 248 रकबा 116.00 बीघा भूमि पूनमाराम पुत्र भगाराम, खसरा संख्या 248/1 (नवीन खसरा संख्या 401/248) रकबा 20.00 बीघा भूमि फतूराम पुत्र हेमाराम व खसरा संख्या 248/2 (नवीन खसरा संख्या 402/248) रकबा 80.16 बीघा भूमि हरचन्दराम पुत्र हेमाराम के नाम अंकित हुई। प्रार्थीगण हरचन्दराम के पुत्र है तथा अप्रार्थी संख्या 01 हिमथाराम, फतूराम का पुत्र है। हरचन्दराम व फतूराम के फौत होने पर उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 को विरासतन प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण को विभाजन से प्राप्त खसरा संख्या 248/2 (नवीन खसरा संख्या 402/248) रकबा 80.16 बीघा भूमि बंट भूमि पर कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है जो संलग्न नक्शा में बरंग हरा से दर्शाया गया है। राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त बंटवाड़ा के अनुसार सही तरमीम नहीं कर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम नहीं की गई। वर्तमान में लट्ठा ट्रेस में वास्तविक कब्जा काश्त के अनुसार तरमीम नहीं की गई थी प्रार्थीगण का मौके पर वास्तविक कब्जा काश्त संलग्न नक्शा नजरी नक्शा में बरंग हरा से दर्शाई गई भूमि अनुसार है जो वास्तविक मौके पर कब्जा काश्त अनुसार है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा जान्दुओं की ढाणी पटवार हल्का खीपर तहसील बाटाडू के खसरा संख्या 248/2 (नवीन खसरा संख्या 402/248) रकबा 80.16 बीघा भूमि की वर्तमान तरमीम निरस्त करते हुए मौके पर स्थिति के आधार पर संलग्न नजरी नक्शा में बरंग हरा से दर्शाई गई भूमि की तरमीम करने का आदेश

उपखण्ड अधिकारी
बाड़मेर

आवेदन दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 02 उपस्थित।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 व 02 ने ईकवाली जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा जान्दुओं की ढाणी पटवार हल्का खीपर तहसील बाटाडू के खसरा संख्या 248 रकबा 216.16 बीघा भूमि आई हुई है, जो हरचन्द्रराम, फतूराम पिसरान हेमाराम का 2/3 हिस्सा तथा पूनमाराम पुत्र भगाराम का 1/3 हिस्सा खातेदारी अधिकारों था। उक्त खातेदारान के मध्य सन् 1960 में आपसी सहमति से बंटवाड़ा हुआ जिसके अनुसार खसरा संख्या 248 रकबा 116.00 बीघा भूमि पूनमाराम पुत्र भगाराम, खसरा संख्या 248/1 (नवीन खसर संख्या 401/248) रकबा 20.00 बीघा भूमि फतूराम पुत्र हेमाराम व खसरा संख्या 248/2 (नवीन खसरा संख्या 402/248) रकबा 80.16 बीघा भूमि हरचन्द्रराम पुत्र हेमाराम के नाम अंकित हुई। प्रार्थीगण हरचन्द्रराम के पुत्र है तथा अप्रार्थी संख्या 01 हिमथाराम, फतूराम का पुत्र है। हरचन्द्रराम व फतूराम के फौत होने पर उक्त भूमि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 01 को विरासतन प्राप्त हुई है। प्रार्थीगण को विभाजन से प्राप्त खसरा संख्या 248/2 (नवीन खसरा संख्या 402/248) रकबा 80.16 बीघा भूमि बंट भूमि पर कब्जा काश्त निरन्तर चला आ रहा है जो संलग्न नक्शा में बरंह हरा से दर्शाया गया है। राजस्व अधिकारियों द्वारा उक्त बंटवाड़ा के अनुसार सही तरमीम नहीं कर कब्जा काश्त अनुसार तरमीम नहीं की गई। वर्तमान में लट्टा ट्रेस में वास्तविक कब्जा काश्त के अनुसार तरमीम नहीं की गई थी प्रार्थीगण का मौके पर वास्तविक कब्जा काश्त संलग्न नक्शा नजरी नक्शा में बरंग हरा से दर्शाई गई भूमि अनुसार है जो वास्तविक मौके पर कब्जा काश्त अनुसार है। लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा जान्दुओं की ढाणी पटवार हल्का खीपर तहसील बाटाडू के खसरा संख्या 248/2 (नवीन खसरा संख्या 402/248) रकबा 80.16 बीघा भूमि की वर्तमान तरमीम निरस्त करते हुए भौतिक स्थिति के आधार पर संलग्न नजरी नक्शा में बरंग हरा अनुसार तरमीम शुद्ध की जाती है तो अप्रार्थी संख्या 01 व 02 को कोई आपत्ति नहीं है। तहसीलदार बाटाडू से मौके की रिपोर्ट अभिलेख के परिप्रेक्ष्य में तलब की गई।

तहसीलदार बाटाडू के प्रस्तुत पत्रांक भूअ/2025/660 दिनांक 12.06.2025 द्वारा प्रतिवेदन इस आशय का उपलब्ध करवाया कि मौजा जान्दुओं की ढाणी पटवार हल्का खीपर के खसरा संख्या 248 रकबा 18.7688 हैक्टेयर व खसरा संख्या 402/248 रकबा 13.0734 हैक्टेयर भूमि में खसरा संख्या 248 का रकबा तरमीम अनुसार जमाबन्दी से ज्यादा है लेकिन मौके पर सेढा और तारबन्दी के अनुसार रकबा 116.00 बीघा पूरा हो रहा है खसरा संख्या 402/248 का भी रकबा 13.0734 हैक्टेयर रकबा पूरा हो रहा है। नक्शा परिशिष्ट 'अ' वर्तमान ट्रेस और भू नक्शा के अनुसार है जो गलत है जिससे रिकॉर्ड अनुसार रकबा पूरा नहीं हो रहा है। नक्शा परिशिष्ट 'ब' जो कि वर्तमान मौके के अनुसार है जिससे दोनों खसरों का रकबा पूरा हो रहा है तथा इस तरमीम के अनुसार प्रार्थी भारमलराम वगैराह व अन्य सभी सह खातेदार एवं अप्रार्थी हिमथाराम पुत्र पूनमाराम भी सहमत है। लिहाजा संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' के अनुसार तरमीम शुद्ध किये जाने की अभिशांषा की गई है।

उभय पक्षों को तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट पर सुना गया। उभय पक्षों ने निवेदन किया कि तहसीलदार बाटाडू की मौका रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी का खेत मौजा जान्दुओं की ढाणी पटवार हल्का खीपर के खसरा संख्या 402/248


उभय पक्षों के अधिकारी
बाटाडू

1

रकबा 13.0734 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार बाटाडू के मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' के अनुसार शुद्ध करने का आदेश फरमावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों तथा तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट एवं पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकॉर्ड लट्टा ट्रेस नक्शा में अंकित नक्शा तरमीम के परीप्रेक्ष्य में मौका रिपोर्ट तैयार की गई। तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत फर्द मौका प्रतिवेदन के मद्देनजर मौजा जान्दुओं की ढाणी पटवार हल्का खीपर के खसरा संख्या 248 रकबा 18.7688 हैक्टेयर व खसरा संख्या 402/248 रकबा 13.0734 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है। उभय पक्षों ने तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट के अनुसार परिशिष्ट 'ब' के अनुसार शुद्ध की किये जाने का निवेदन किया है। तहसीलदार बाटाडू ने भी अंकित किया है कि मौजा जान्दुओं की ढाणी पटवार हल्का खीपर के खसरा संख्या 248 रकबा 18.7688 हैक्टेयर व खसरा संख्या 402/248 रकबा 13.0734 हैक्टेयर भूमि में खसरा संख्या 248 का रकबा तरमीम अनुसार जमाबन्दी से ज्यादा है लेकिन मौके पर सेढा और तारबन्दी के अनुसार रकबा 116.00 बीघा पूरा हो रहा है खसरा संख्या 402/248 का भी रकबा 13.0734 हैक्टेयर रकबा पूरा हो रहा है। नक्शा परिशिष्ट 'अ' वर्तमान ट्रेस और भू नक्शा के अनुसार है जो गलत है जिससे रिकॉर्ड अनुसार रकबा पूरा नहीं हो रहा है। नक्शा परिशिष्ट 'ब' जो कि वर्तमान मौके के अनुसार है जिससे दोनों खसरों का रकबा पूरा हो रहा है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय को धारा 131 व 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत अभिलेख में लिपिकीय भूल सुधारने की जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग करना, मैं उचित समझता हूँ। लिहाजा मौजा जान्दुओं की ढाणी पटवार हल्का खीपर के खसरा संख्या 248 रकबा 18.7688 हैक्टेयर व खसरा संख्या 402/248 रकबा 13.0734 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' के अनुसार शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा जान्दुओं की ढाणी पटवार हल्का खीपर के खसरा संख्या 248 रकबा 18.7688 हैक्टेयर व खसरा संख्या 402/248 रकबा 13.0734 हैक्टेयर भूमि की वर्तमान तरमीम को निरस्त करते हुए तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' के अनुसार शुद्ध की जाती है। तहसीलदार बाटाडू द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बाटाडू तदनुसार समस्त राजस्व अभिलेख में शुद्ध करें। पत्रावली फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक को सरें इजलास सुनाया गया।

28/11/25

(यशोधर शोखर)
उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाड़मेर